झारखण्ड विधान सभा

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. संबद्ध अधिनियम की धारा-9 में उप धारा (3) का समावेशन।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रस्तावनाः- [सभा द्वारा यथापारित]

चूँकि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की शिकायतें पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग को मिलती रहती हैं। ऐसे में मात्र आरक्षण हेतु किसी वर्ग का चयन करना पर्याप्त नहीं है परन्तु आरक्षण दिये जाने हेतु चिन्हित वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में राज्य में लागू आरक्षण नीति के नियमानुसार आरक्षण प्राप्त हो यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है। अतएव पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग के कृत्य में अतिरिक्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः भारत के गणराज्य के 67 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

(1) संक्षिप्त नाम, एवं विस्तार और प्रारम्भ-

(i) यह अधिनियम "झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

(2) झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 9 में उपधारा 9(3) (क) एवं (ख) निम्नवत अतः स्थापित किया जाता हैः-

धारा 9 (3) (क) संविधान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम अथवा अनुदेश के अंतर्गत अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने तथा लोक सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षण के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा एवं राज्य सरकार को यथोचित सलाह देगा ताकि राज्य सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर सके।

(ख) समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 28 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 53--50--10-8-2016